

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017

धारा 6 : किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व

राज्य में किसी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि-दर को लागू करके संगणित किया जाएगा।

दृष्टांत : यदि किसी सम्बद्ध राज्य के लिए 2015-16 के लिए धारा 5 के अनुसार संगणित आधार वर्ष राजस्व एक सौ रूपए है तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित राजस्व निम्नानुसार होगा :

$$2018-19 \text{ के लिए अनुमानित राजस्व} = 100(1+14/100)^3$$
